

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश
संख्या- 26 / 1 / ई-3 / 2018-19
दिनांक : प्रयागराज 19 जून, 2019
विज्ञप्ति

उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) मुख्य परीक्षा, 2018 में सफल घोषित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार निम्न कार्यक्रमानुसार सम्पन्न होने हैं :-

साक्षात्कार तिथि	अनुक्रमोंक	
	कहां से	कहां तक
21.06.2019	000011	002200
22.06.2019	002210	005387
24.06.2019	005391	008411
25.06.2019	008453	011275
26.06.2019	011280	015140
27.06.2019	015143	019160
28.06.2019	019183	023658
29.06.2019	023661	027149
01.07.2019	027153	030589
02.07.2019	030612	032234
03.07.2019	032236	035183
04.07.2019	035348	038137
05.07.2019	038191	041066
06.07.2019	041086	044090
08.07.2019	044094	046101
09.07.2019	046130	047665
10.07.2019	047671	050349
11.07.2019	050436	053850
12.07.2019	053872	056891
15.07.2019	056950	059644
16.07.2019	059669	063865
17.07.2019	063911	064475

2. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि साक्षात्कार-ज्ञाप आयोग की वेबसाइट <http://uppsc.up.nic.in> पर तिथिवार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अभ्यर्थीगण निर्धारित तिथि को साक्षात्कार-ज्ञाप के साथ भेजे गए आवेदन पत्र (application form) 3 पृष्ठों का, प्रमाणीकरण प्रपत्र (attestation form) 2 पृष्ठों का, देशना पत्रक (Index card) 1 पृष्ठ का तथा विभिन्न परीक्षाओं के प्राप्तांकों के विवरण सम्बन्धी प्रपत्र (Details of Marks) 1 पृष्ठ। उक्त प्रपत्रों को डाउन लोड कर पूर्णतः भरे तथा उसके साथ समस्त शैक्षिक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतियों का एक सेट तैयार कर, राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो की दो प्रति तथा दो आवक्ष तक की सादी फोटो सहित नियत तिथि को प्रातः 9.00 बजे आयोग परिसर इलाहाबाद में स्थित यमुना भवन में पहुँचना सुनिश्चित करें। साक्षात्कार के समय शैक्षिक अर्हताओं से संबंधित समस्त अंकतालिकाओं/उपाधि एवं प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां भी अपने साथ अवश्य लाएं। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :-

(क) उ0प्र0 की महिला अभ्यर्थी को पिता पक्ष से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र।

(ख) उ0प्र0 के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दावे के समर्थन में (वेबसाइट पर उपलब्ध) निर्धारित नवीनतम प्रारूप पर जारी किया गया प्रमाण-पत्र।

(ग) केन्द्र अथवा राज्य सरकार में कार्यरत अभ्यर्थी को सेवायोजक द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र मूल रूप में।

उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों के अभाव में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

(बृजेन्द्र कुमार द्विवेदी)
परीक्षा नियंत्रक